संक्षेप में

कॉइनस्विच ने मिंत्रा के पूर्व वीपी को प्रमुख बनाया

क्रिप्टो निवेश ऐप कॉइनस्विच ने सुधीर तुमुलूरू को क्रिप्टो इंजीनियरिंग खंड का प्रमुख नियुक्त किया है। उनकी नई जिम्मेदारियों में टेक्नोलॉजी स्टैक निर्माण में कंपनी की मदद करना मुख्य रूप से शामिल है जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक्सचेंज और नए क्रिप्टो उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। तुमुलूरू ने मिंत्रा से कॉइनस्विच में नई पारी की शुरुआत की है। मिंत्रा में वह इंजीनियरिंग खंड के उपाध्यक्ष थे। उन्हें भारत और अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियों में क्लाउड निर्माण, डेटा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने का दो दशक का लंबा अनुभव है। *भाषा*

बीआईआई संग ई-एसयूवी लाएगी एमऐंडएम

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और ब्रिटिश इंटरनैशनल इन्वेस्टमेंट 2027 तक 5 ई-एसयूवी का पोर्टफोलियो तैयार करेंगी

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 8 जुलाई

प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और ब्रिटिश इंटरनैशनल इन्वेस्टमेंट के निवेश वाली ईवी कंपनी 5 ई-एसयूवी का पोर्टफोलियो तैयार करेंगी। इसके लिए चार साल के दौरान 10,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने की योजना है। दोनों कंपनियों के अधिकारियों ने निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बैठक में यह बात कही। इस वित पोषण से महिंद्रा को अपने नियोजित पूंजीगत खर्च को 11,900 करोड़ रुपये से घटाकर 9,975 करोड़ रुपये करने में मदद मिलेगी।

बीआईआई और एमऐंडएम ने 70,070 करोड़ रुपये (9.1 अरब डॉलर) के मूल्यांकन पर एक ईवी कंपनी में साथ मिलकर 3,850 करोड़ रुपये (प्रत्येक 1,925 करोड़ रुपये) के निवेश के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित ईवी कंपनी का नाम तय होना अभी बाकी है। एमऐंडएम ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में यह खुलासा किया है। इसके लिए दो किस्तों में 1,200 करोड़ रुपये और 725 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

यह सौदा ई-मोबिलिटी क्षेत्र में एक प्रमुख निवेश होगा। मौजूदा वाहन कंपनियों के बीच महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने ईवी कारोबार के लिए रकम जुटाने की हाल में पहल की है। अक्टूबर 2021 में टाटा समूह की प्रमुख कंपनी ने अपनी ईवी इकाई टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) के लिए 9.1 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर टीपीजी राइज क्लाइमेट से एक अरब डॉलर यानी करीब 7,500 करोड़ रुपये जुटाए थे।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अनीश शाह ने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है, हम इस (इलेक्ट्रिक वाहन) क्षेत्र में अग्रणी स्थिति हासिल करेंगे।' उन्होंने कहा, 'यह महज एक निवेश नहीं है। यह हमारी शुरुआत है।' उन्होंने कहा कि महिंद्रा ईवी कंपनी की ओर अन्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बीआईआई के साथ मिलकर काम करेगी ताकि चरणबद्ध तरीके से उसकी वित्तपोषण जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक ऐसी कंपनी जो फिलहाल कागज पर मौजूद है और जिसके पास कोई उत्पाद नहीं है, के मूल्यांकन पर बाजार की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखी। एमऐंडएम का शेयर आज 5 फीसदी बढ़त के साथ 1180.25 पर खुलने के बाद 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ 1,132.65 रुपये पर बंद हुआ।

एक ब्रोकरेज के विश्लेषक ने नाम नहीं छापने के अनुरोध के साथ कहा, 'उन्हें 25 करोड़ डॉलर की छोटी मात्रा मिल रही है और इसे बढ़ाकर 9.1 अरब डॉलर मूल्यांकन पर पहुंचाना होगा।' यह टाटा मोटर्स से अलग है।

जब टाटा मोटर्स ने टीपीजी के साथ सौदा किया जो उनके पास उत्पाद थे और ई-यात्री वाहन बाजार में 75 प्रतिशत की भागीदारी थी। इसलिए निवेशक पूरे सौदे को संदेह के नजरिये से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'शायद 15 अगस्त को ब्रांड पेशकश के बाद, निवेशकों का भरोसा बढ़ जाएगा।'

ई-एसयूवी पोर्टफोलियो में एक्सयूवी300 का इलेक्ट्रीफाइड वर्सन (एक्सयूवी400 नाम दिया जाएगा) शामिल होगा, जिसे सितंबर 2022 में पेश किया जाएगा और जनवरी 2023 में बिक्री की जाएगी। वर्ष 2026-27 तक, एमऐंडएम को अपनी ई-एसयूवी भागीदारी संपूर्ण एसयूवी पोर्टफोलियो में 20-30 प्रतिशत रहने की संभावना है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में कार्यकारी निदेशक (फार्म ऐंड ऑटोमोटिव सेक्टर) राजेश जेजुरीकार ने कहा कि इससे सालाना 200,000 वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

जेजुरीकार ने कहा कि उद्योग संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स (सायम) को कुल यात्री वाहन बाजार में प्रतिशत के तौर पर इसकी भागीदारी 2022 में 50 से बढ़कर 54 प्रतिशत पर पहुंच जाने की संभावना है।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013
शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, 2सरा तल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर-452001

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार तथा/सह-कर्जदार, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार तथा सह-कर्जदारों से बकाया देयताओं की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है" तथा "जो भी है वहीं है" के आधार पर 28 जुलाई, 2022 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, कथित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 28 जुलाई, 2022 को 2 बजे अप. की जाएगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित मुहरबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास 26 जुलाई, 2022 को 5.00 बजे अप. तक शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, 2सरा तल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर-452001 पर जमा करनी है।
प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है स्थिति" में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना की राशि तथा मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1.	10300514	श्री सन्तोष प्रजापत (कर्जदार) श्रीमती पूजा बाई प्रजापत (सह-कर्जदार)	रु. 13,92,962/- तथा 26 जून, 2019	रु. 9,90,000/-	रु. 99,000/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : उक्त संपत्ति आवासीय मकान नं. 102 है, ईडब्ल्यूएस विश्व बैंक कॉलोनी के पास, संदीपनी नगर, आगर रोड, निकट मेन रोड उज्जैन, माप 36 वर्ग मीटर। सीमाएँ निम्नानुसारः - पूर्वः मकान नंबर 101 ईडब्ल्यूएस, पश्चिमः मकान नंबर 103 ईडब्ल्यूएस, उत्तरः मकान नंबर 88 ईडब्ल्यूएस, दक्षिणः कॉलोनी रोड					
2.	9939847 & 9953078	श्री सुमित उपवेजा (कर्जदार) श्रीमती ममता उपवेजा (सह-कर्जदार)	रु. 12,18,493/- ऋण खाता 9939847 के प्रति तथा रु. 2,53,634/- ऋण खाता 9953078 तथा 11 दिसम्बर, 2018	रु. 9,90,000/-	रु. 99,000/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : आवासीय गृह निगम नंबर 36, वार्ड नंबर 17, गली नंबर 2 ओझा कॉलोनी, पडलियाकला, नागदा जिला उज्जैन-म.प्र., क्षेत्रफल 60 फीट x 10 फीट, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट, सीमाएँ निम्नानुसारः - पूर्वः गली, पश्चिमः सड़क, उत्तरः खुली भूमि, दक्षिणः टपरीवाला प्लॉट।					
3.	10540206	श्री ललित राज नेक (कर्जदार) श्रीमती रजनी शाक्य (सह-कर्जदार)	रु. 40,68,231/- तथा 04-दिस.-2019	रु. 29,90,000/-	रु. 2,99,000/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : कथित अचल संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम दामोदर बैग, परगना एवं जिला ग्वालियर में राजस्व सर्वेक्षण संख्या 61/1 / मिन-1 पर नगरपालिका वार्ड संख्या 4 एवं वर्तमान दिशा निदेर्शों के अनुसार वार्ड नं. 5 में एक आवासीय भूखंड है, संपत्ति आईडी 1483201903247620 है, जिसका क्षेत्रफल 278.81 वर्ग मीटर है, जिला ग्वालियर (म.प्र.) सीमाएं: पूर्व: विक्रेता की संपत्ति, पश्चिमः विक्रेता संपत्ति, उत्तरः सड़क, दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति। नोट : एक मुकदमा (आरसीएसए/2300140/2014) कर्जदार तथा टीसीएचएफएल के विरुद्ध थर्ड पार्टी द्वारा दाखिल किया गया है। अब तक टीसीएचएफएल के विरुद्ध कोई स्टे आर्डर नहीं पारित हुआ है। नीलामी इस मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करेगी।					
4.	9922062	भगीरथ वसुनिया (कर्जदार), श्री विनोद वसुनिया, श्री प्रवीण वसुनिया (सह-कर्जदार)	रु. 17,03,394/- तथा 28-फर.-2020	रु. 12,50,000/-	रु. 1,25,000/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : आवासीय प्लॉट/मकान नं. 94, माप 83.64 वर्ग मीटर, सेक्टर-ए, ग्राम कालीबिलोद जीवन ज्योति विहार, तहसील दीपलपुर, जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश, सीमाएं : पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम : प्लॉट सं. 102, उत्तर : प्लॉट नं. 93, दक्षिण : प्लॉट नं. 94-ए।					
5.	9162203 & 9163320	श्री नरेश मोहनलालजी अग्रवाल (कर्जदार) श्रीमती श्वेता नरेश अग्रवाल (सह-कर्जदार)	रु. 48,96,701/- अनुबन्ध सं. 9162203 के तहत तथा रु. 37,02,103/- अनुबन्ध सं. 9163320 के तहत बकाया एवं देय है तथा 30-जन.-2017	रु. 95,00,000/-	रु. 9,50,000/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : फ्लैट नं. 402, चौथी मंजिल, प्रिंसेस वैली, प्लॉट नंबर 03, गली नं. 01, साउथ तुकोगंज, डिवीजन नंबर 6, इंदौर -452 001, माप 1768 वर्ग फुट। उत्तर- इमारत की एम.ओ.एस.; पूर्व- इमारत की एम.ओ.एस, पश्चिम- फ्लैट नंबर 403, दक्षिण- लॉबी। नोट : कर्जदारों द्वारा टीसीएचएफएल के विरुद्ध एक आवेदन एसए/198/2021 डीआरटी, जबलपुर के समक्ष लम्बित है। कथित मुकदमे में टीसीएचएफएल के विरुद्ध कोई स्टे ऑर्डर नहीं पारित किया गया है।					
6.	9484276	श्रीमती निशा रानी बैरागी (कर्जदार) श्री माधव बैरागी (सह-कर्जदार)	रु. 14,57,851/- तथा 08.10.2018	रु. 26,00,000/-	रु. 2,60,000/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : आवासीय प्लॉट नंबर 99, ब्लॉक-के, माप 3011 वर्ग फीट यानी 279.71 वर्ग मीटर, पिनेकल 'डी' डिजायर में जोन-I में स्थित, गांव- पालाखेड़ी, तहसील-हाथोद, जिला-इंदौर, ऑफ सुपर कॉरिडोर इंदौर में स्थित, और निम्नानुसार सीमाएँ: - उत्तर- ब्लॉक के का प्लॉट संख्या 100, दक्षिण : ब्लॉक-के का प्लॉट सं. 98, पूर्व : 10.00 मीटर रोड, पश्चिम : ब्लॉक के का प्लॉट नं. 103 तथा 104					
7.	10440086	श्री इरशाद अहमद खान (कर्जदार), श्रीमती पुखराज बी (सह-कर्जदार)	रु. 11,35,584/- तथा 02-जून-2021	सम्पत्ति 1 हेतु : रु. 5,99,000/- सम्पत्ति 2 हेतु : रु. 5,99,000/-	सम्पत्ति 1 हेतु : रु. 59,900/- सम्पत्ति 2 हेतु : रु. 59,900/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : संपत्ति संख्या 1: उक्त अचल संपत्ति एक आवासीय प्लॉट संख्या 208, माप प्लॉट क्षेत्र 1000 वर्ग फीट यानी 92.96 वर्ग मीटर, भू-राजस्व सर्वेक्षण संख्या 94/2,94/3/1,94/4/1,94/6/2,94/7/1, 94/9, 94/10/1, 94/11 पर 'रास लेक व्यू' में स्थित, गांव: भारदला तहसीलः महू इंदौर, जिला : इंदौर, मध्य प्रदेश। निम्नानुसार सीमाएँ: - पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 207, दक्षिणः प्लॉट संख्या 209 संपत्ति संख्या 2: उक्त अचल संपत्ति आवासीय प्लॉट नं. 209, माप प्लॉट क्षेत्र 1010 वर्ग फीट यानी 93.83 वर्ग मीटर, भू-राजस्व सर्वेक्षण संख्या 94/2,94/3/1,94/4/1,94/6/2,94/7/1, 94/9, 94/10/1, 94/11 पर 'रास लेक व्यू' में स्थित, गांवः भारदला तहसीलः महू इंदौर, जिला : इंदौर, मध्य प्रदेश। निम्नानुसार सीमाएँ: - पूर्वः सड़क, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः प्लॉट नंबर 210, दक्षिणः प्लॉट नंबर 208					
8.	9486499	श्री प्रफुल्ल जैन (कर्जदार), श्रीमती अर्चना जैन (सह-कर्जदार), प्रफुल्ल सुरेन्द्र कुमार जैन एचयूएफ (सह-कर्जदार)	रु. 1,69,32,283/- तथा 24-09-2021	सम्पत्ति सं. 1 के लिए : रु. 22,41,000/- सम्पत्ति सं. 2 के लिए : रु. 22,41,000/-	सम्पत्ति सं. 1 के लिए : रु. 2,24,100/- सम्पत्ति सं. 2 के लिए : रु. 2,24,100/-
अचल सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं. 1. कथित अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लैट/यूनिट नं. 1106 का सम्पूर्ण भाग, ग्यारहवीं मंजिल पर, माप सुपर बिल्ट अप एरिया : 1554.00 वर्ग फीट, सुपर प्रीमियम टॉवर 2 में, बहुमंजिल भवन परियोजना 'पिनेक डी ड्रीम्स' में स्थित, भूमि सर्वेक्षण सं. 56,61/1,61/2 (भाग) की डाइवर्टेड भूमि पर, ग्राम पिपलियाकुम्हार, ग्राम पंचायत निपनिया, तहसील एवं जिला : इन्दौर, मध्य प्रदेश में स्थित। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : खुला स्थान, पश्चिम : फ्लैट नं. 1105, उत्तर : खुला स्थान एवं बालकनी, दक्षिण : फ्लैट नं. 1107 सम्पत्ति सं. 2. कथित अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लैट/यूनिट नं. 1203 का सम्पूर्ण भाग, बारहवीं मंजिल पर, माप सुपर बिल्ट अप एरिया : 1537.00 वर्ग फीट, सुपर प्रीमियम टॉवर 2 में, बहुमंजिल भवन परियोजना 'पिनेक डी ड्रीम्स' में स्थित, भूमि सर्वेक्षण सं. 56,61/1,61/2 (भाग) की डाइवर्टेड भूमि पर, ग्राम पिपलियाकुम्हार, ग्राम पंचायत निपनिया, तहसील एवं जिला : इन्दौर, मध्य प्रदेश में स्थित। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : फ्लैट नं. 1204, पश्चिम : खुला स्थान, उत्तर : खुला स्थान तथा बालकीन, दक्षिण : फ्लैट नं. 1202					
9.	9947305 & 9966611	श्री कमल किशोर रमेशचन्द्र झलनिया (कर्जदार) श्रीमती कमला झलनिया (सह-कर्जदार)	रु. 2,49,129/- (रुपये दो लाख उनचास हजार एक सौ उनतीस मात्र) अनुबन्ध सं. 9947305 के तहत देय एवं बकाया है तथा रु. 72,836/- (रुपये बहत्तर हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) अनुबन्ध सं. 9966611 के तहत बकाया एवं देय है, कुल रु. 3,21,964/- (रुपये तीन लाख इक्कीस हजार नौ सौ चौंसठ मात्र)	रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट संख्या 138 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 1250.00 वर्ग फुट यानी 116.17 वर्ग मीटर, पटवारी हलका नंबर 27 वार्ड नंबर 7 (लोकमान्य तिलक वार्ड) ग्राम धामनोद तहसील धरमपुरी और जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित 'ओंकारदत्त रेजीडेंसी' कॉलोनी में स्थित है। सीमाएँ निम्नानुसारः - पूर्व : प्लॉट नंबर 101, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नंबर 139, दक्षिणः प्लॉट नं. 137					
10.	9778221	श्री नवीन चन्दानी (कर्जदार) श्रीमती नीलू नवीन चन्दानी (सह-कर्जदार)	रु. 14,62,516/- तथा 06.05.2021	रु. 13,60,000/-	रु. 1,36,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 202 का समस्त भाग, सुपर बिल्ट अप एरिया 651 वर्ग फीट यानी 60.50 वर्ग मीटर, बहुमंजिला आवासीय भवन, विकसित आवासीय बहुमंजिला इमारत में, प्लॉट नं. 95 बी, राजेंद्र नगर इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित 'वक्रतुंड हाइट्स' में, सीमाएँः- पूर्वः फ्लैट संख्या 201, फिर प्लॉट नं. 96-बी, पश्चिमः प्लॉट नंबर 94-बी, उत्तरः बैक लेन, दक्षिणः सामान्य मार्ग, सीढ़ी फिर अन्य फ्लैट					
11.	9996986	श्री हरिओम गौड़ (कर्जदार) श्रीमती संगीता गौड़ (सह-कर्जदार)	रु. 8,93,433/- तथा 14-मई-2018	रु. 9,25,000/-	रु. 92,500/-
अचल संपत्ति का विवरणः मकान संख्या जी-819, टाइप डी, भूतल, योजना संख्या 114-1, इंदौर में राजीव आवास विहार, निर्मित क्षेत्र 35.35 वर्ग मीटर, सीमाएंः पूर्वः मकान संख्या जी 821, पश्चिमः खुला मार्ग, उत्तरः मकान संख्या जी 817, दक्षिणः खुला मार्ग।					
12.	9628979	श्री मोहम्मद इमरान (कर्जदार) श्रीमती जीनत खान (सह-कर्जदार)	रु. 13,07,774/- तथा 07-नव.-2019	रु. 12,15,000/-	रु. 1,21,500/-
अचल संपत्ति का विवरणः कथित सम्पत्ति फ्लैट नं जी-2, भूतल, 'बरसाना धाम' का भूतल, प्लॉट नं. 67 पर निर्मित, श्री कृष्णा एवेन्यू फेज-3 ग्राम लिंबोडी, तहसील एवं जिला इंदौर, म.प्र. में स्थित, कुल क्षेत्रफल 825 वर्ग फीट (76.67 वर्ग मीटर) सीमाएँ: - पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः फ्लैट संख्या- जी -3, उत्तर : फ्लैट संख्या- जी -1, दक्षिणः प्लॉट संख्या 68					
13.	9447483	श्रीमती पार्वती पटेल (कर्जदार)	रु. 12,98,954/- तथा 19-मई-2016	रु. 6,00,000/-	रु. 60,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः एलआईजी-1003, पुरवा कॉलोनी, धनवंतरी नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482003 और सीमाः उत्तर लकी अहरीवार, पूर्वः साइड रोड, पश्चिमः पाटे, दक्षिणः प्रकाश चंद जैन					
14.	9309043	श्रीमती कविता चवन (कर्जदार) श्री हनमन्त चवन (सह-कर्जदार)	रु. 17,29,552/- तथा 28-नव.-2016	रु. 16,70,000/-	रु. 1,67,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर 304, 3सरी मंजिल, शिवानी ब्रज अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर ए -6, श्री जी वैली, ग्राम-भिचौली मरदाना, तहसील और जिला इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001, माप 1017 वर्ग फीट यानी 94.51 वर्ग मीटर का सुपर बिल्ट अप एरिया, बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ: - उत्तरः फ्लैट संख्या 303; दक्षिणः फ्लैट नंबर 301; पूर्वः अन्य भूमि; पश्चिमः सामान्य मार्ग					
15.	9430637	श्रीमती मरथम्मा देसाई (कर्जदार) श्री प्रशान्त कुमार देसाई (सह-कर्जदार)	रु. 13,35,869/- तथा 09-मई-2016	रु. 6,00,000/-	रु. 60,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः एलआईजी -888, पुरवा कॉलोनी, धनवंतरी नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482003, और सीमाः उत्तरः चंद्रा माडी नागरे, पूर्वः साइड रोड, पश्चिमः जैन साब, दक्षिण द्वाराः प्रताप झरिया					
16.	9781868	श्री सुशील कुमार चौहान (कर्जदार) श्री सरवन सिंह चौहान (सह-कर्जदार)	रु. 13,45,957/- तथा 20-मार्च-2019	रु. 12,90,000/-	रु. 1,29,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः सम्पत्ति प्लॉट नं. 176 तथा प्लॉट सं. 177 का दक्षिणी भाग, उस पर निर्माण सहित, "श्रुति शेल्टर कॉलोनी" में, वार्ड नं. 6, ग्राम मगजपुरा, तहसील एवं जिला धार, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट नं. 173, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नं. 177 का मध्य भाग, दक्षिण : प्लॉट सं. 176 का शेष भाग					
17.	9786083	सुश्री सिबिल सिमोन (कर्जदार)	रु. 9,40,359/- तथा 06-मई-2021	रु. 8,70,000/-	रु. 87,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः कथित अचल सम्पत्ति फ्लैट नं. 203 का समस्त भाग, दूसरी मंजिल, माप क्षेत्रफल 590 वर्ग फीट अर्थात 54.83 वर्ग मीटर, बहुमंजिली आवासीय भवन, प्लॉट नं. 319, 'गुरुकृपा', मानवता नगर, कनाडिया रोड, ग्राम बिचोली हापसी, तहसील एवं जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश में स्थित। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : रास्ता, पश्चिम : बैक लेन, उत्तर : फ्लैट नं. 202, दक्षिण : रोड।					
18.	10346492	श्री कपिल सहगल (कर्जदार) श्रीमती रूबी सहगल (सह-कर्जदार)	रु. 4,91,238/- तथा 05-मई-2021	रु. 8,40,000/-	रु. 84,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 13 का समस्त भाग, माप क्षेत्रफल 92.96 वर्ग मीटर (1000.00 वर्ग मीटर), कथित "बालाजी एवेन्यू", पटवारी हल्का नं. 34, ग्राम : डेंडिया (धेंडिया/घेंडिया), तहसील एवं जिला : उज्जैन, मध्य प्रदेश। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. 12, उत्तर : प्लॉट नं. 14, दक्षिण : कॉलोनी रोड।					
19.	9871560 & 9859724	श्री महेन्द्र पाठक (कर्जदार) श्रीमती मानसी पाठक (सह-कर्जदार)	रु. 1,63,605/- (रुपये एक लाख तिरेसठ हजार छः सौ पांच मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता सं. 9871560 के तहत बकाया एवं देय है तथा रु. 7,63,565/- (रुपये सात लाख तिरेसठ हजार पांच सौ पैंसठ मात्र) ऋण खाता सं. 9859724 के तहत बकाया एवं देय है, कुल रु. 9,27,170/-, 10-सित.-2019	रु. 10,36,000/-	रु. 1,03,600/-
अचल संपत्ति का विवरणः अचल सम्पत्ति फ्लैट नं. 304, तीसरा मंजिल का सम्पूर्ण भाग, माप बिल्ट अप एरिया 391 वर्ग फीट सुपर बिल्ट अप एरिया 521 वर्ग फीट, बहुमंजिला आवासीय भवन "आदिनाथ हाइट्स", प्लॉट नं. 32 श्री कृष्णा एवेन्यू फेज-1, सेक्टर ए, ग्राम लिम्बोडी, तहसील एवं जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : फ्लैट नं. 305, पश्चिम : कॉमन रास्ता फिर फ्लैट नं. 303 एवं 303, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : कॉमन रास्ता।					
20.	9169785 & 9219977	श्री संजीव जैन (कर्जदार), श्रीमती निधि सिंघाई, श्रीमती मालती जैन (सह-कर्जदार)	रु. 30,79,875/- (रुपये तीस लाख उन्यासी हजार आठ सौ पिचहत्तर मात्र) अनुबंध सं. 9219977 के तहत बकाया एवं देय है तथा राशि रु. 31,75,944/- (रुपये इकतीस लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ चौवालीस मात्र) अनुबंध सं. 9169785 के तहत बकाया एवं देय है, कुल रु. 62,55,819/- (रुपये बासठ लाख पचपन हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) 28 सितम्बर, 2019	1. सम्पत्ति सं. 1 हेतु : रु. 26,30,000/- 2. सम्पत्ति सं. 2 हेतु : रु. 27,00,000/-	1. सम्पत्ति सं. 1 हेतु : रु. 2,63,000/- 2. सम्पत्ति सं. 2 हेतु : रु. 2,70,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति संख्या 1 के लिएः अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 609, सुपर बिल्ट अप क्षेत्र 1573 वर्ग फीट का समस्त भाग, 'कान्हा ग्रीन्स' खसरा नंबर 233,234,235/1,235/2,235/3 पर स्थित गांवः बावड़िया कलां जिलाः भोपाल मध्य प्रदेश। सीमा निम्नानुसारः - पूर्वः खुला, पश्चिमः लॉबी / सीढ़ियाँ, उत्तरः फ्लैट नं. 610, दक्षिणः फ्लैट नं. 608 संपत्ति संख्या 2 के लिएः अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 209 का समस्त भाग, सुपर बिल्ट अप एरिया 1573 वर्ग फीट, 'कान्हा ग्रीन्स' वार्ड 52, खसरा नंबर 233, 234, 235/1, 235/2,235/3 ग्रामः बावड़िया कलां जिलाः भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित। सीमा निम्नानुसारः - पूर्वः खुला, पश्चिमः लॉबी / सीढ़ियाँ, उत्तरः फ्लैट नंबर 210, दक्षिणः फ्लैट नंबर 208					
21.	9314543	श्री प्रदीप लोधी (कर्जदार), श्रीमती मीनल लोधी (सह-कर्जदार)	रु. 7,74,052/- 15-01-2020	रु. 13,85,000/-	रु. 1,38,500/-
अचल संपत्ति का विवरणः उक्त संपत्ति आवासीय फ्लैट नं. 202 दूसरी मंजिल पर, माप 750.00 वर्ग फीट यानी 69.70 वर्ग मीटर, फ्री होल्ड प्लॉट नं. 66 पर निर्मित, भू-राजस्व सर्वेक्षण संख्या 264, 296/264, पटवारी हलका नं. 26, बहुमंजिला भवन 'लोटस टावर1 गुंज नगर, ग्राम रतनपुर रोड, तहसीलः हुजूर जिलाः भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित। सीमाः-पूर्वः फ्लैट नंबर 205, पश्चिमः रोड, उत्तरः फ्लैट नंबर 201, दक्षिणः फ्लैट नंबर 203					

नीलामी में, जनसामान्य को व्यक्तिगत रूप से अपनी संविदा(एं) जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित कुल बकाया अदा करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार की जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रतिभूत ऋण, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह ई-नीलामी रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी :

यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से 28 जुलाई, 2022 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 22.07.2022 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणः शून्य। इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विधिक बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, 6ठा तल, मैत्रीवनम कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेत, हैदराबाद-500038 से इसके समन्वयक श्री यू. सुब्बाराव, मोबाइल नं. 8142000061, subbarao@bankauctions.in अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस देना होगा और यह उच्चतम संविदाकार द्वारा अदा किया जायेगा। उच्चतम संविदाकार द्वारा भुगतान स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन पर जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण कृपया लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://bit.ly/3NQfOI0 में प्रावधानित लिंक देखें।

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर
तिथि : 09.07.2022

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वीवो के अनुरोध पर विचार करे प्रवर्तन निदेशालय

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 8 जुलाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह चीन की फोन निर्माता कंपनी वीवो के अनुरोध पर विचार करे और कंपनी को देनदारियों के भुगतान के लिए कुछ बैंक खातों को फ्रीज के दायरे से बाहर किए जाने की अनुमति दे।

इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कुछ खातों से प्रतिबंध हटाने की मांग करने के लिए वीवो द्वारा पेश की गई याचिका के संबंध में प्रवर्तन एजेंसी से अपना जवाब देने को कहा है।

न्यायालय ने ईडी के लिए वकील जोहेब हुसैन को इस याचिका में वीवो द्वारा मांगी गई राहत पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।

वीवो के वकीलों सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि कर, टीडीएस और उत्पाद शुल्क समेत कई तरह की देनदारियों का भुगतान किया जाना है। उन्होंने कहा, 'कंपनी में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए इसकी तत्काल जरूरत है कि खाते फ्रीज होने से ये देनदारियां हर दिन बढ़ती जा रही हैं।'

इस बीच, ईडी के वकील ने वीवो के बैंक खातों को 'अनफ्रीज' करने यानी खातों से प्रतिबंध हटाने की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ऐसा करना जल्दबाजी भी है। उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा तलाशी अभियान दिन के आखिर में पूरा हो जाएगा।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, 'याचिका में शामिल वित्तीय शर्तों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को याचिका के पहलुओं पर विचार करने और प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की धारा 17 (1)ए के तहत प्रतिबंधित परिसंपत्ति के साथ कारोबार करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।'

वीवो द्वारा दायर इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष शुक्रवार की सुबह पेश किया गया।

अदालती निर्देश

- अदालत ने ईडी से वीवो के अनुरोध पर विचार करने को कहा
- कंपनी को देनदारियों के भुगतान के लिए कुछ बैंक खातों को फ्रीज के दायरे से बाहर किए जाने की अनुमति दे
- अदालत के निर्देश के बाद वीवो के कुछ खातों से प्रतिबंध हटने की संभावना बढ़ गई है
- मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी

राजीव मिश्रा नए फंड से जुटाएंगे 10 अरब डॉलर

सुरजीत दासगुप्ता
नई दिल्ली, 8 जुलाई

मासायोशी सोन के मजबूत सहयोगी राजीव मिश्रा अपने प्रस्तावित नए फंड के लिए 8-10 अरब डॉलर जुटाने की संभावना तलाश रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अबू धाबी और सऊदी अरब के फंडों से बातचीत की है।

अधिकारियों का कहना है कि इसकी भी संभावना है कि सोन सॉफ्टबैंक या अन्य माध्यमों के जरिये इस नए फंड में कुछ निवेश कर सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है।

60 वर्षीय मिश्रा गुरुवार को दिल्ली की यात्रा पर थे और तब सोन के प्रस्ताव को सॉफ्टबैंक कर्मियों के बीच पेश किया गया था। उन्होंने छतरपुर में अपने फार्म हाउस में एक डिनर पार्टी में भी हिस्सा लिया था जिसमें कई संस्थापकों, सॉफ्टबैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, सिकोइया और केकेआर जैसे अन्य निजी इक्विटी फंडों के दिग्गजों और स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह जैसे उनके दोस्तों ने भी भाग लिया था।

उनका यह भी कहना है कि मिश्रा अक्सर लंदन की यात्रा करते रहेंगे, जहां वह पहले विजन फंड को देखेंगे और अपने स्वयं के फंड के लिए अबू धाबी और दुबई जाएंगे। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि इन सब चीजों को मूर्त रूप देने में एक साल का समय लग जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस फंड में सॉफ्टबैंक के कुछ ऐसे पूर्व अधिकारी भी शामिल होंगे जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जिनमें अक्षय नहेटा का नाम भी है।

मिश्रा का पश्चिम एशियाई फंडों के साथ अच्छा संबंध है और वह

सरकार के सॉवरिन फंड मुबाडला (अबू धाबी) को पहले विजन फंड में प्रमुख निवेशक के तौर पर शामिल करने में सफल रहे और उनका मानना है कि वह फिर से उसके साथ सौदा पूरा करने में सक्षम हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख जयेद बिन सुल्तान अल नह्यान द्वारा नियंत्रित निवेश उद्यम चिमेरा कैपिटल के बारे में बातचीत चल रही है।

अन्य खबरों में कहा गया है कि मिश्रा ने सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जैसे सॉवरिन फंडों के साथ मजबूत संबंध विकसित किए हैं, जिससे सॉफ्टबैंक के पहले विजन फंड में 45 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ावा मिला है।

सॉफ्टबैंक और राजीव मिश्रा से इस बारे में प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
भोपाल संस्करण
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल

आरएनआई नं. MPHHIN/2008/24325
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600
फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें...
सुश्री मानसी सिंह
हेड, कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ईमेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS

कोई हवाई अधिभार नहीं